# राजस्थान सरकार
# निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

## औजार एवं उपकरणो के कय से सम्बन्धित विस्तृत निर्देश

1 यह सूची निविदा शर्तो के अध्यधीन दिनांक 31.03.2010 तक ही प्रभावशील रहेगी। सभी फर्मो ने अनुबंध कर लिया है। अतः फर्मो को उनके बिलो का भुगतान नियमानुसार कर दिया जावे।

2 औजार एंव उपकरण की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से नही ली जावे। फर्म को सीधे ही कय आदेश दिये जाये, सप्लाई भी सीधे ही प्राप्त की जाकर भुगतान संबंधित फर्म को सीधे ही किया जाये। इसकी कठोरता से पालना की जावे।

3 मांगकर्ता अधिकारी कोई भी कयादेश जारी करने से पूर्व अपने अधीनस्थ संस्थाओं से मांग पत्र (जिसे रिकार्ड पर रखा जावे) लेने के पश्चात 3 अधिकारियो की कमेटी गठित कर प्राप्त मांग, भण्डार की स्थिति (पोजिशन ऑफ स्टॉक) एवं उपलब्ध बजट प्रावधान को ध्यान में रखते हुये कय की जाने वाली सामग्री की वास्तविक मांग को सुनिश्चित करेगें। इसके पश्चात ही कय आदेश जारी करेगे।

4 आवंटित बजट से अधिक की देनदारियॉ किसी भी स्थिति में उत्पन्न नही की जावे अन्यथा आवंटन से अधिक देनदारियो की वसूली संबंधित अधिकारी से की जावेगी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। किसी भी आईटम की क्रय वास्तविक मांग से अधिक नहीं की जावे एवं किसी आवश्यक आईटम का अभाव भी नहीं रहे।

5 ऐसे औजार एवं उपकरण जिनके स्पेसिफिकेशन के क्रम मे आपको कोई शंका हो तो अपने निदेशालय में उपस्थित हो कर निदेशालय मे उपलब्ध सैम्पल/केटलॉग से मिलान कर सकते हैं।

6 सभी प्राप्त औजार एवं उपकरण का इन्द्राज भण्डार पंजिका में मय बैच नं0 एवं कालातीत दिनांक (एक्सपायरी डेट) आदि करेंगे।

7 राजकीय उपक्रमों से अमानत राशि एवं जमानत राशि जमा नहीं कराई जाती है। इसलिये राजकीय उपक्रमों के विरूद्ध जो भी रिकवरी बनती है, फर्म के बकाया बिलों मे से कटौती कर ली जाये।

8 औजार एवं उपकरण एवं अन्य आईटमों को स्वीकार करते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जावे कि वे अनुमोदित/मेक तथा अनुमोदित स्पेसिफिकेशन/ मार्क आदि के अनुसार हो अन्यथा स्वीकार नहीं किया जावे।

9 क्रयादेश मे स्पष्ट कर दिया जावे कि फर्म के बिल में इस आशय का प्रमाण–पत्र देवे कि बिल में अंकित औजार एवं उपकरण आदि उसमें अंकित दर से कम कीमत पर किसी भी ग्राहक को नहीं बेची गई है।

10 कार्यालय से ही निर्धारित प्रपत्र में क्रयादेश भेजे जावे। प्रत्येक क्रयादेश की एक प्रति उसी दिन निदेशालय को भेजी जावे।

11 फर्म को क्रयादेश रजिस्टर्ड डाक से भेजे जावें, साधारण डाक अथवा यू0पी0सी0 से नहीं भेजा जावे। क्रयादेश की रजिस्ट्री डिस्पेच की तारीख को ही की जावे। क्रयादेश दिये जाने के पश्चात उसे रद्द नहीं किया जावे। यदि फर्म द्वारा क्रयादेश/निविदा शर्त संख्या–21 के अनुसार सप्लाई नहीं दी जाती है तो निविदा की शर्त संख्या 23 के अनुसार कार्यवाही करें।

12 किसी भी फर्म का क्रयादेश यथासंभव रू0 500/– से कम राशि का नहीं दिया जावे।

13 शर्तों के अनुसार सम्भावित हानि की कटौती फर्म के बिलों में से काटकर ही भुगतान किया जावे।

14 इस अनुबंध के तहत वसूली की जाने वाली राशि की सूचना (प्रत्येक फर्म की अलग–अलग) संतोषजनक प्रतिवेदन (परफोरमेंस स्टेटमेंट) के साथ दिनांक 30.04.2010 तक आवश्यक रूप से भेजी जावे।

15 विवाद रहित माल का भुगतान फर्म को माल प्राप्ति के 30 दिवस में आवश्यक रूप से कर दिया जावे। टूट–फूट व अन्य कमी की सूचना फर्म को तत्काल माल प्राप्ति के एक सप्ताह में आवश्यक रूप से रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित की जावे खराब माल को फर्म द्वारा एक सप्ताह में लौटा दिया जावे अन्यथा आपकी निजी तौर पर जिम्मेदारी होगी।

16 निविदा शर्तें आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं, इसकी एवं समय–समय पर जारी निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।

17 यह भली–भांति नोट कर लें कि संलग्न सूची दिनांक 31.03.2010 तक ही प्रभावशील है एवं यदि इस तिथि को आगे नहीं बढाया जाता है और किसी मांगकर्ता अधिकारी द्वारा क्रयादेश इस तिथि के पश्चात दिये जाते हैं तो उसे आदेशों की अवहेलना समझते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पडेगा।

18 औजार एवं उपकरण की मांग का विवरण निम्न प्रोफार्मा में रखा जायेगा एवं इसे निरीक्षण हेतु हर समय तैयार रखेंगे :–

| **क्र. सं.** | **केटलॉग नं. मय सेक्शन** | **नाम** | **मात्रा जो भण्डार में उपलब्ध है।** | **मांग जो प्राप्त हुई** | **क्र. दि.** | **आदेशित मांग की संख्या** | **विवरण** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

19 आपके कार्यालय से संबंधित महालेखाकार/विभागीय निरीक्षण दलों द्वारा फर्मों के विरूद्ध निकाली गई वसूली की राशि की कटौती फर्मों को भुगतान किये जाने वाले बिलों मे से आवश्यक रूप से कर ली जावे। साथ ही यह भी ध्यान रखा जावे कि यदि आपूर्ति में निविदा शर्तो के अनुसार विलम्ब हुआ है और इसके लिये यदि फर्म दोषी है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) की वसूली भी तत्समय ही कर ली जावे। वसूली न करने पर आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर